1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, ऑपरेशन थियेटर विभाग, (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयेग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आपरेशन थियेटर सहायक	98 * (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रु. 19900-63200)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)
18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल	विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सहित 10+2 पास और किसी न्यूनतम पचास बिस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**टिप्पण :** यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से संबंधित अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
अर्हता : हाँ, अनुभव के सिवाय । आयु : नहीं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 (रु. 18000-56900) में ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल से ऑपरेशन थियेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखने वाले ऑपरेशन थियेटर अटेण्डेन्ट और अन्य समूह 'ग' कर्मचारी । **टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभारी - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति :** 1 अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2 संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभारी - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आपरेशन थियेटर तकनीशियन	29 * (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (रु. 25500-81100)	अचयन

(6)	(7)
18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख	1. विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सहित 10+2 पास: और ; 2. शल्य सुविधाओं वाले किसी ख्यातिप्राप्त अस्पताल, संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थियेटर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या शल्य सुविधाओं वाले किसी ख्यातिप्राप्त अस्पताल या संस्थान या आपरेशन थियेटर में एक वर्ष का प्रमाण पत्र

जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पाठ्यक्रम तथा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं। अर्हता : हाँ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रु. 19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सफदरजंग अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर सहायक। **टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभारी - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति :** 1 अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2 संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता।

3 उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4 उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभारी - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. वरिष्ठ आपरेशन थियेटर तकनीशियन	11 * (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (रु. 29200-92300)	अचयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (रु. 25500-81100) के पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित सफदरजंग अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/07/2012-एम.एच.- III-(आर.आर.)]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2017

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Operation Theatre Assistant, insofar as they relate to the posts of Operation Theatre Technician and insofar as they relate to the post of Senior Operation Theatre Technician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, Operation Theatre Department, (Group 'C') posts, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, it's classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Operation Theatre Assistant.	98* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non -Gazetted, Non Ministerial.	Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)	Non –Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiiti District and Pangi Sub–Division of Chamba District of Himachal Pradesh , the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	10+2 passed in Science with Physics, Chemistry Biology and one year experience of working in a minimum fifty bedded Hospital. **Note:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Qualification Yes except experience. Age No.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation /absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct Recruits	5% by promotion 95 % by direct recruitment.	**Promotion:** Operation Theatre Attendant and other Group 'C' officials having Operation Theatre Training course from a recognised hospital with three years of regular service in the Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900).

		Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental promotion Committee : 1. Addl. Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi. - Chairman 2. Head of the Concerned Department, Safdarjung Hospital, New Delhi. – Member 3. Deputy Director (Administration, In-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services – Member 4. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital - Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee :** 1. Addl. Medical Superintendent, SJH - Chairman 2. Head of the Concerned Department, Safdarjung Hospital, New Delhi. – Member 3. Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services – Member 4. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Operation Theatre Technician.	29* *(2016) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub–Division of Chamba District of Himachal Pradesh , the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(1)10+2 passed in Science with Physics, Chemistry and Biology; and (2) Diploma in Operation Theatre course from reputed Hospital or Institute or University having surgical facilities or one year Certificate course in Operation Theatre from reputed Hospital or Institute or University having surgical facilities and one year experience in relevant field.	Age :No. Qualification: Yes

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Operation Theatre Assistant in Safdarjung Hospital in Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental promotion Committee :-		Not applicable.
1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	–Chairman	
2. Head of the Concerned Department, Safdarjung Hospital	– Member	
3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	– Member	
4. Deputy Director Administration, in-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services.	– Member	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee. :		
1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	- Chairman	
2. Head of the Concerned Department, Safdarjung Hospital	– Member	
3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	– Member	
4. Deputy Director Administration, In-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services.	– Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Senior Operation Theatre Technician	11* *(2016) subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29200-92300)	Non-selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	**Promotion :** Operation Theatre Technician in Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental promotion Committee :-		Not applicable.
1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	– Chairman	
2. Head of the Concerned Department, Safdarjung Hospital	– Member	
3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	– Member	
4. Deputy Director Administration, In-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services.	– Member	

[F. No. A-11018/07/2012-MH-III (RR)]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल,नई दिल्ली, दंत शल्प चिकित्सा भर्ती नियम,1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में तकनीकी सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली डेंटल सर्जरी में तकनीकी सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अ पूर्वक्ति नुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।